भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

03.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2027 का उत्तर

रेलगाड़ियों की समयबद्धता

2027. श्रीमती पूनम महाजनः

श्री पी. पी. चौधरीः

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा रेलगाड़ियों को नियत समय पर चलाए जाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप रेलगाड़ियों को नियत समय पर चलाने में सहायता मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार रेलगाड़ी के नियत समय से विलंबित होने पर यात्रियों को भोजन, आश्रय आदि की सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाने वाले संभावित नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): भारतीय रेल का गाड़ियों को समय पर चलाने का सदा प्रयास रहता है। बहरहाल, गाड़ियां आंतरिक कारणों (मुख्यतः इंजनों, शिरोपरि विद्युत केबलों, रेलपथ, सिगनल, यांत्रिक आदि से संबंधित उपस्करों की विफलता एवं संतृप्त लाइन क्षमता के

कारण) तथा बाहरी कारणों (यथा इलेक्ट्रिक ग्रिड विफलताएं, जनाक्रोश, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां आदि) जो रेलवे के नियंत्रण से बाहर हैं, से देरी से चलती हैं।

समयपालन की समस्याओं को दूर करने के लिए, रेलवे ने कई कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं:

(i) मंडल, क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड स्तर पर कड़ी निगरानी करना।
(ii) समयपालन में सुधार लाने के लिए रेकों का मानकीकरण और अतिरिक्त रेकों की व्यवस्था करना।
(iii) योजनाबद्ध तरीके से अवसंरचना संबंधी अवरोधों को दूर करना।
(iv) एकीकृत मेगा ब्लॉक की योजना इस प्रकार बनाई जाती है कि सभी परिसंपत्ति अनुरक्षण विभाग अपने कार्य एक साथ कर सकें।
(v) डीज़ल से बिजली में इंजन परिवर्तन के कारण होने वाली रुकौनी से बचने के लिए कुछ गाड़ियों को डीज़ल इंजन के साथ आरंभ से अंत तक चलाना पड़ता है।
(vi) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों (सवारी डिब्बा कारखाना रेक) के परंपरागत रेकों को एलएचबी (लिंके हॉफमैन बुश) रेकों में बदलना।
(vii) एकसमान गति वाली गाड़ियों का एक समूह बनाने के लिए समय-सारणी को युक्तिसंगत बनाना।
(viii) मुख्य टर्मिनलों पर ठहराव समय में कटौती करना।
(ix) मवेशियों के कुचले जाने के अत्यधिक सशंकित क्षेत्र इलाहाबाद मंडल में रेलपथ के साथ-साथ बाड़ लगाना।
(x) समर्पित माल यातायात गलियारे के पहले चरण को चालू करना।
(xi) इलाहाबाद-मुगलसराय के तीसरी लाइन (153 कि.मी.) के कार्य को स्वीकृत करना।
(xii) गाड़ियों में पानी भरने के लिए उच्च क्षमता के वाटर पम्प लगाना ताकि इससे होने वाली रुकौनी को कम किया जा सके।
(xiii) इंजन रिवर्सल से बचने के लिए बाई-पास स्टेशनों का प्रावधान करना आदि।
(xiv) इसके अतिरिक्त, समयपालन के आंकड़ों में परिशुद्धता के लिए, आगमन व प्रस्थान के समय को डाटा लॉगर्स के ज़रिए स्वचालित रूप से दर्ज किया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान, भारतीय रेलों पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का समयपालन गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 61.56% की तुलना में 70.57% (25 जून तक) रहा है।

(घ) से (च): राजधानी/शताब्दी/दूरंतो जैसी गाड़ियों, जहां खानपान प्रभार टिकट किराए में शामिल होते हैं, के देर से चलने की स्थिति में, यदि यात्रा समय को निर्धारित समय से 2

घंटे से अधिक के लिए बढ़ाया जाता है, तो यात्रियों को उस समय के अनुसार सुविधाएं दी जाती हैं। अन्य मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए, गाड़ियों से संबद्ध रसोई यानों के ज़रिए भुगतान आधार पर खानपान सेवाएं दी जाती हैं। रसोई यानों के बिना चलने वाली गाड़ियों के मामले में, मार्गवर्ती स्टेशनों पर स्टॉल्स, ट्रेन साइड वेंडिंग तथा ई-खानपान के ज़रिए खानपान सेवाएं दी जाती हैं। इन सेवाओं को गाड़ियों के देरी से चलने के दौरान भी जारी रखा जाता है।

सभी स्टेशनों पर शेल्टर, शौचालय, प्रतीक्षालय, विश्रामालय, पेयजल, बेंच आदि सहित सभी न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं नियमानुसार पहले ही उपलब्ध कराई गई हैं। गाड़ियों के देरी से चलने के दौरान, गाड़ियों में देरी से प्रभावित हुए यात्रियों के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

*****

Sk